	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	माघ 19, सोमवार, *शाके* 1942–फरवरी 8, 2021 *Magha 19, Monday, Saka 1942- February 8, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 02, 2021

जी.एस.आर.251 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 21 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 21 का विद्यमान उप-नियम (2) हटाया जायेगा।

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में.-

(i) अनुभाग-I में, शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यामान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।";

(ii) अनुभाग-II में, शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यामान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।";

(iii) अनुभाग-IV में, शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यामान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।";

(iv) अनुभाग-V में, शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यामान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा"; और

(v) अनुभाग-VI में, शीर्ष कनिष्ठ पद के अधीन क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यामान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।"

[एफ.2(1)डीओपी/ए-2/2003]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-GR.II

NOTIFICATION

Jaipur, February 02, 2021

G.S.R.251 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Police Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 21.- The existing sub-rule (2) of rule 21 of the Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989, hereinafter referred to as the said rules, shall be deleted.

3. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules.-

(i) in SECTION-I, under the head Junior Posts, the existing entries of column number 4 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-

"Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination.";

(ii) in SECTION-II, under the head Junior Posts, the existing entries of column number 4 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"Secondary from a recognised Board or its equivalent examination.";

(iii) in SECTION-IV, under the head Junior Posts, the existing entries of column number 4 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"Secondary from a recognised Board or its equivalent examination.";

(iv) in SECTION-V, under the head Junior Posts, the existing entries of column number 4 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-

"Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination."; and

(v) in SECTION-VI, under the head Junior Posts, the existing entries of column number 4 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination."

[No. F. 2(1)DOP/A-II/2003]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।